16/4/25

पक्षकार प्रेमशंकर की वकील की बहस सुनी गयी। वकील द्वारा प्रार्थनापत्र - प्रेमशंकर बनाम राम - वादी के सहायक अभिभाषक श्री [illegible] अवकाश वाद पत्र [illegible] पर लागू नहीं होता। वकील की बहस सुनी गयी। वकील की बहस प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर डाला वादी की ओर से लागू किया जाता है।

पक्षकार [illegible] कुमार [illegible] नहीं आने के कारण कार्यवाही स्थगित की।

16/4/25